अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है। वर्ष 2020-21 (या पूर्व के वर्षों के वित्तीय विवरण जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहला लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है और यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता

है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अन्य बातों के साथ, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरण सहित, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण भी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके विवेकाधिकार से पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2021 तक, हरियाणा में 37[1] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो[2] सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (पांच अकार्यरत सरकारी कंपनियों[3] सहित) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकार नियंत्रित सात अन्य कंपनियां शामिल थीं।

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यथा हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से पांच[4] अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 31 मार्च 2021 को अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कुल निवेश ₹ 21.87 करोड़ था जिसमें पूंजीगत निवेश (₹ 18.18 करोड़) और दीर्घ अवधि ऋण

---

1 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विवरणों पर चर्चा की गई है क्योंकि दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पांच अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

2 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

3 अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

4 हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (मार्च 2019 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय), हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (1998-99 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

(₹ 3.69 करोड़) शामिल थे। दो[5] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया 17 से 22 वर्षों से चल रही है और पूरा होनी बाकी है। सरकार इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार कर सकती है क्योंकि ये निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं करते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का विवरण ***तालिका 5.1*** में दिया गया है।

तालिका 5.1: हरियाणा के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
टर्नओवर	41,669	38,077	38,869
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	7,04,957	7,80,612	7,64,872
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर का प्रतिशत	5.91	4.88	5.08

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए किए गए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण ***तालिका 5.2*** में नीचे दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की पूंजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण
ऊर्जा	36,781.25	35,651.99	10,270.16	5.93	47,051.41
वित्त	318.11	301.12	72.74	0.00	390.85
सेवा	117.89	52.57	0.00	0.00	117.89
आधारभूत संरचना	324.34	261.35	6,028.32	283.22	6,352.66
अन्य	17.74	9.78	68.87	8.15	86.61
कुल	**37,559.33**	**36,276.81**	**16,440.09**	**297.30**	**53,999.42**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

[5] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 53,999.42 करोड़ के कुल निवेश का 87.13 प्रतिशत (₹ 47,051.41 करोड़) प्राप्त हुआ था।

5.4.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय व्यय का सारांश विवरण ***तालिका 5.3*** में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
(i) इक्विटी कैपिटल आउटगो	9	13,327.92[6]	10	5,838.78	6	631.67
(ii) दिए गए ऋण	3	60.99	1	108.74	5	104.98
(iii) प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी	10	376.92	9	142.72	7	438.52
कुल आउटगो (i+ii+iii)		**13,765.83**		**6,090.24**		**1,175.17**
ऋण चुकौती/बट्टे खाते में डालना	5	5,710.07	4	487.41	4	254.66
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	3	5,531.99	3	5,190.00	शून्य	शून्य
जारी की गई गारंटी	7	2,192.40	5	1,975.62	5	3,793.00
गारंटी प्रतिबद्धता	8	6,117.44	7	8,067.63	8	8,698.72

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी पर आधारित संकलन।

5.4.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यपि हरियाणा वित्तीय निगम एक सूचीबद्ध निगम है परंतु निगम ने मई 2010 से कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

5.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश संबंधी कोई नीति तैयार नहीं की है।

[6] इसमें ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान भी शामिल है जिसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

5.5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2019-20 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में 2020-21 के दौरान लाभ दर्ज करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2019-20 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89[7] करोड़ हो गया। 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में 9.18 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) बढ़कर 36.97 प्रतिशत हो गया। नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2020-21 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 10.20 प्रतिशत था।

लाभ में अधिकतम योगदान देने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का उल्लेख ***तालिका 5.4*** में किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ में योगदान दिया

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ से लाभ की प्रतिशतता
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	905.76	53.17
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	397.07	23.31
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	239.61	14.06
कुल	**1,542.44**	**90.54**

5.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। इनमें से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ₹ 643.98 करोड़ का संचयी लाभ और अन्य पांच ने अपने परिचालन में हानि दर्ज की। वर्ष 2020-21 में लाभ दर्ज करने वाले तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा नहीं की।

हालांकि, दो[8] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान घोषित अपने परिणामों में ₹ 63.41 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ नौ करोड़ का लाभांश घोषित किया था। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अपने लेखों पर क्रमश: हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

---

7 अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लाभ के आंकड़े लिए गए हैं।

8 हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

ने ₹ 0.20 करोड़ (चार प्रतिशत) का और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 8.80 करोड़ (150.68 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

5.5.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[9] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण ***तालिका 5.5*** में दिए गए हैं।

तालिका 5.5: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2018-19	4,728.32	21,376.97	22.12
2019-20	3,533.51	26,933.23	13.12
2020-21	4,457.74	28,917.91	15.42

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।

5.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की संपत्ति का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय घटाकर प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या कुछ बचेगा। धनात्मक निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि) बताता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति है जबकि ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं परिसंपत्ति से अधिक हैं।

30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयर धारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे ***तालिका 5.6*** में दिया गया है।

[9] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2018-19	970.61	3,607.61	26.90
2019-20	937.68	10,630.91	8.82
2020-21	1,273.18	12,477.82	10.20

2018-19 के दौरान इक्विटी पर रिटर्न इसलिए अधिक था क्योंकि दो[10] वितरण कंपनियों का निवल मूल्य ऋणात्मक (₹ 5,448.52 करोड़) था, जो राज्य सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत दो वितरण कंपनियों में इक्विटी डालने के कारण 2019-20 में धनात्मक हो गया।

5.6 ऋण सेवा

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गई ***तालिका 5.7*** में दिया गया है।

तालिका 5.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2018-19	2,833.45	4,712.37	13	11	2[11]
2019-20	2,293.45	3,509.60	13	11	2[12]
2020-21	2,245.23	4,457.74	14	11	3[13]

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।

यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2020-21 में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। 2020-21 के दौरान तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों

10 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

11 हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

12 हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

13 हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था यानी ये तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज संबंधी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे।

5.7 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

5.7.1 उठाई गई हानियां

मार्च 2021 के अंत तक अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि वहन करने वाले 11[14] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा वहन की गई हानि 2019-20 में ₹ 38.10 करोड़ से बढ़कर उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 425.71 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे ***तालिका 5.8*** में दिया गया है।

तालिका 5.8: 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)
सरकारी कंपनियां				
2018-19	6	37.43	3.60	116.47
2019-20	8	38.10	(-) 2.55	140.21
2020-21	11	425.71	382.71	7,882.78

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ की हानि (83.98 प्रतिशत) दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित है, जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 195.83 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 161.67 करोड़) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार हानि दर्शा रहे हैं।

यह भी अवलोकित किया गया कि तीन[15] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिन्होंने 2019-20 के दौरान लाभ कमाया था, उन्हें 2020-21 में घाटा हुआ है। जबकि, एक[16] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिसे 2019-20 में घाटा हुआ था, ने 2020-21 के दौरान लाभ दर्ज किया है।

---

14 (i) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (iii) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, (iv) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, (v) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vi) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vii) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, (viii) हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, (ix) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (x) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (xi) हरियाणा वित्तीय निगम।

15 (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और (iii) हरियाणा वित्तीय निगम।

16 हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक, 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,668.85 करोड़ थी। इन 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में से सात[17] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार ₹ 52.72 करोड़ की हानि उठाई। चार[18] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने हानि नहीं उठाई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि उनके अंतिम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,495.16 करोड़ थी। इनमें से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ₹ 28,341.22 करोड़ की संचित हानियां थी। 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से पांच[19] समापन/परिसमापन के अधीन/निष्क्रिय थे।

30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2021 को ₹ 54.14 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरूद्ध इन दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल परिसंपत्ति (-) ₹ 157.62 करोड़ थी।

5.8 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जहां राज्य सरकार ने इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है, के संबंध में की गई है ताकि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर का निर्धारण किया जा सके। 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना गया है।

---

17 (i) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (वर्ष 2019-20 के लिए), (iii) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2019-20 के लिए), (iv) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (v) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2016-17 के लिए), (vi) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए) और (vii) हरियाणा वित्तीय निगम (वर्ष 2019-20 के लिए)।

18 (i) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (iii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2017-18 के लिए) और (iv) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (वर्ष 2017-18 के लिए)।

19 (i) हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, (ii) सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, (iii) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, (iv) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और (v) हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में दिए गए वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।

- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2020-21 तक की अवधि को राज्य सरकार के 31 मार्च 2000 के निवेश को 2000-01 के लिए राज्य सरकार का वर्तमान मूल्य पर निवेश माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई मामले नहीं थे) इनके वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति के साथ ***तालिका 5.9*** में इंगित किए गए हैं:

तालिका 5.9: 1999-2000 से 2020-21 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=(3+4)	6=2+5	7	8= (6x7/100)+6	9=6x7/100	10	11= 10/8*100
1999-2000		612.33*	49.95	662.28	662.28	12.05	742.09	79.80	-436.59	-
2000-01	742.09	310.48	73.50	383.98	1,126.07	11.40	1,254.44	128.37	-221.85	-
2001-02	1,254.44	59.75	98.18	157.93	1,412.37	10.50	1,560.66	148.30	-174.72	-
2002-03	1,560.66	125.40	77.49	202.89	1,763.55	10.74	1,952.96	189.41	36.7	1.88
2003-04	1,952.96	123.78	80.43	204.21	2,157.17	10.20	2,377.20	220.03	236.76	9.96
2004-05	2,377.20	165.41	22.23	187.64	2,564.84	8.49	2,782.60	217.75	-368.24	-
2005-06	2,782.60	417.07	31.59	448.66	3,231.26	8.95	3,520.46	289.20	-327.89	-
2006-07	3,520.46	789.96	25.90	815.86	4,336.32	9.20	4,735.26	398.94	-442.18	-
2007-08	4,735.26	1,002.23	83.03	1,085.26	5,820.52	7.43	6,252.97	432.46	-730.53	-
2008-09	6,252.97	951.64	67.39	1,019.03	7,272.00	7.82	7,840.68	568.67	-1,070.16	-
2009-10	7,840.68	903.80	41.96	945.76	8,786.44	9.29	9,602.70	816.26	-1,406.59	-
2010-11	9,602.70	888.59	98.80	987.39	10,590.09	9.22	11,566.50	976.41	-453.63	-
2011-12	11,566.50	594.63	167.40	762.03	12,328.53	9.73	13,528.09	1,199.57	-10,096.15	-
2012-13	13,528.09	176.64	61.71	238.35	13,766.44	9.86	15,123.81	1,357.37	-3710.51	-
2013-14	15,123.81	102.93	94.88	197.81	15,321.62	9.83	16,827.74	1,506.12	-3,943.54	-
2014-15	16,827.74	75.76	153.74	229.50	17,057.24	9.33	18,648.69	1,591.44	-2,648.04	-
2015-16	18,648.69	1,638.52	4,076.41	5,714.93	24,363.62	8.64	26,468.64	2,105.02	-1,779.65	-
2016-17	26,468.64	1,931.09	4,199.98	6,131.07	32,599.71	8.00	35,207.68	2,607.98	63.68	0.18
2017-18	35,207.68	5462.30	176.82	5,639.12	40,846.80	8.10	44,155.39	3,308.59	910.95	2.06
2018-19	36,370.39**	13,327.92	350.46	13,678.38	50,048.77	8.81	54,458.07	4,409.30	960.37	1.76
2019-20	54,458.07	5,838.78	11.15	5,849.93	60,308.00	8.31	65,319.59	5,011.59	968.29	1.48
2020-21	65,319.59	631.67	104.78	736.45	66,056.04	6.50	70,349.68	4,293.64	1,273.18	1.81
कुल		**36,130.68**	**2,362.78#**	**38,493.46#**						

* ₹ 844.23 करोड़ की निवेशित इक्विटी में से विद्युत क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाया गया है। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों की मुद्रित लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

** प्रारंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था जिसे 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था क्योंकि संबंधित वर्षों के अनुदान में इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं है।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ (निवेश की गई इक्विटी ₹ 844.23 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अवशिष्ट संचित हानि) से बढ़कर वर्ष 2020-21 के अंत में ₹ 38,493.46 करोड़ हो गया क्योंकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 37,881.13 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 70,349.68 करोड़ परिकलित किया गया।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 के लिए कुल आय ऋणात्मक थी जो इंगित करता है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। हालांकि 2002-03 के दौरान और 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल धनात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे। पिछले चार वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2020-21 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 1.48 और 2.06 प्रतिशत के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

5.10 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक के तीन माह के भीतर तैयार की जानी

चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

5.11.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 सरकारी कंपनियां थी। इनमें से, वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को छोड़कर (परिसमापन के अंतर्गत) 33 कंपनियों (निष्क्रिय मामलों सहित) के लेखे देय थे। हालांकि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021[20] तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 24 सरकारी कंपनियों के एक से चार वर्ष तक के लेखे बकाया थे।

सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे ***तालिका 5.10*** में दिया गया है।

[20] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में कंपनियों द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की देय तिथि को मूल देय तिथि (30 सितंबर 2021) से 2 महीने आगे अर्थात् 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

तालिका 5.10: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		राज्य सरकार की कंपनियां
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या		35
घटा: परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां जिनके 2020-21 के लेखे देय नहीं थे		2
कंपनियों की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे		33
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 नवंबर 2021 तक लेखे प्रस्तुत किए		9
बकाया लेखों वाली कंपनियों की संख्या		24
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	3
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए	2
	(iii) अन्य	19
बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष	9
	दो वर्ष	8
	तीन साल और चार साल तक	7

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों[21] की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी 30 नवंबर 2021 से पहले लेखापरीक्षा के लिए अपने वर्ष 2020-21 के लेखे प्रस्तुत नहीं किए। हरियाणा वित्तीय निगम के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 और हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-21 के लेखे 30 नवंबर 2021 तक प्रतीक्षित थे।

5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

[21] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। इस कार्य का निर्वहन निम्न अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक ऑडिटिंग प्रथाओं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान 23 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2020-21 और पिछले वर्षों के 25 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 25 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 और पिछले वर्षों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 16 सरकारी कंपनियों की 18 वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 328.24 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 244.50 करोड़ था, का विवरण ***तालिका 5.11*** और ***तालिका 5.12*** में दिया गया है।

तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	• परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के पुन: माप से उत्पन्न आय की बुकिंग न होने के कारण लाभ को ₹ 146.55 करोड़ तक कम बताया गया। वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्यापक आय को कम करके दिखाया गया था (जिसमें संचित लाभ और हानि शामिल है) और उस सीमा तक की अवधि के लिए टर्मिनल देयताओं को अधिक बताया गया था। • अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/सरकारी विभागों से लाए गए कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की बुकिंग के कारण व्यय को अधिक बताया गया और लाभ को ₹ 3.05 करोड़ तक कम बताया गया।
2	वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कंपनी ने संयुक्त उद्यम इकाई, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ए.पी.सी.पी.एल.) से 2020-21 में प्राप्त ₹ 175 करोड़ (₹ 13.13 करोड़ की टी.डी.एस. कटौती के बाद निवल राशि ₹ 161.87 करोड़) और 2015-16 से 2019-20 तक पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 209.25 करोड़ की लाभांश आय को मान्यता नहीं दी। कंपनी ने ₹ 161.87 करोड़ के लाभांश की निवल प्राप्ति राज्य सरकार को हस्तांतरित की तथा ₹ 13.13 करोड़ की शेष राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत देय के रूप में दर्शाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और अन्य इक्विटी को क्रमशः ₹ 175 करोड़ और ₹ 209.25 करोड़ तक कम बताया गया।
3	वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने समूह अवकाश नकदीकरण योजना की नीति के लिए ₹ 77.17 लाख का कम प्रावधान किया जिसके परिणामस्वरूप हानियों को उसी सीमा तक कम बताया गया।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-V, पानीपत के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान दो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. से वसूल की गई अतिरिक्त निश्चित लागत के कारण बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों में ₹ 32.38 करोड़ शामिल हैं। एच.ई.आर.सी. द्वारा इसे अस्वीकृत (अप्रैल 2020) किया गया था। कंपनी ने बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अस्वीकृत स्थिर लागत का पूंजीकरण किया और वर्तमान वित्तीय देयताओं के अंतर्गत एक प्रावधान बनाया। परिणामस्वरूप, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों और प्रावधानों को ₹ 32.38 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
2	वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• कंपनी ने ₹ 2.24 करोड़ की राशि के वैट/ब्याज/जुर्माने के भुगतान के लिए देयता सृजित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देयताओं के साथ-साथ उसी सीमा तक हानियों को कम करके दिखाया गया। • लेखों में जूट के बोरों की कमी/क्षति का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप स्टोर एंड स्पेयर्ज को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को ₹ 63 लाख तक कम बताया गया।

5.13.3 सांविधिक निगमों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

हरियाणा राज्य भंडारण निगम (सांविधिक निगम) के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2.86 करोड़ था, का विवरण नीचे दिया गया है:

- निगम ने हिसार में गोदाम के निर्माण पर ₹ 1.19 करोड़ खर्च किए। लेकिन, इससे पहले कि गोदाम पूरी तरह से बन पाता, काम बंद कर दिया गया, इस्तेमाल की गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया और गोदाम के लिए दूसरी जमीन आवंटित कर दी गई। निगम ने विघटित सामग्री का निवल वसूली योग्य मूल्य ₹ 23.74 लाख निर्धारित किया। निगम ने ₹ 95.73 लाख की हानि का प्रावधान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ को उसी सीमा तक अधिक बताया गया।

- निगम ने ₹ 55.68 लाख की निरीक्षण लागत दर्ज नहीं की जिसके परिणामस्वरूप उतनी राशि तक वर्ष के लाभ को कम बताया गया।

- निगम ने गन्नी बेल्स के कारण हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) से वसूलनीय के रूप में ₹ 1.34 करोड़ दर्ज किए। तथापि, एच.ए.आई.सी. से कोई राशि वसूलनीय नहीं थी और यह लागत के बिना गन्नी बेल्स के हस्तांतरण के लिए केवल एक बुक एंट्री थी। परिणामस्वरूप लाभ और वसूलनीय को ₹ 1.34 करोड़ तक अधिक बताया गया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। वर्ष के दौरान, आठ सरकारी कंपनियों और एक सांविधिक निगम को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रथाओं के अनुप्रयोग/व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से संबंधित कमियों को इंगित किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2021 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (पांच निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) शामिल थीं।

- अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार, लाभ की सूचना देने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 2020-21 में 19 है, जबकि 2019-20 में इनकी संख्या 21 थी। अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89 करोड़ हो गया।

- 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ (83.98 प्रतिशत) की हानि दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित है जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं।

- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 2021 तक 35 सरकारी कंपनियों में से 33 सरकारी कंपनियों (परिसमापन के अंतर्गत दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) के वर्ष 2020-21 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किए। 24 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से चार वर्ष तक की अवधि के बकाया थे।

5.16 सिफारिशें

(i) राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उनके वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि उनके वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के अभाव में ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

(ii) राज्य सरकार को पांच निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त बिंदुओं को टिप्पणियों और उत्तरों के लिए 1 दिसंबर 2021 को हरियाणा सरकार के पास भेजा गया। सरकार से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (फरवरी 2022)।

विशाल बंसल

चंडीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांक: 08 अप्रैल 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 21 अप्रैल 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**